

To

Date:- 21-03-2022

The CPIO/PIO

C/o Coordinating Officer,

Heritage Conservation Committee,

India Habitat Centre, Lodhi Road,

New Delh-110003

Subject:- Information under the Right to Information Act 2005.

Ref:- नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं के बारे सूचनाये हेतु ।

Sir / Madam,

With reference to the above I Devender Dev Sharma, R/O 16 C, Bhairon Mandir, Boulevard Road, Civil Lines, North Delhi-110054 submit as under:-

It is, therefore, requested to your goodself to kindly provide me the point wise reply of following question please:-

1. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो वह बिल्डिंग authorisd होगी या unauthorised होगी लिखित में जानकारी दी जाये ।
2. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उतरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सैगसन कराकर नयी बिल्डिंग बना लेते हैं तो वह बिल्डिंग authorisd होगी या unauthorised होगी लिखित में जानकारी दी जाये ।
3. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उतरी दिल्ली नगर निगम से बिल्डिंग प्लान सैगसन कराकर नयी बिल्डिंग बनाता हैं और फिर नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन उस बिल्डिंग को बुक कर लेती है बुक करने से मतलब क्या वह बिल्डिंग unauthorised हैं लिखित में जानकारी दी जाये ।
4. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर उतरी दिल्ली नगर निगम

27
23-3-2022
Smt Akka, CPIO

D. D. D.

से बिल्डिंग प्लान ऑनलाइन सैगसन कराकर नयी बिल्डिंग बनाता हैं तो क्या उतरी दिल्ली नगर निगम से किया गया सैगसन बिल्डिंग प्लान लीगल है या अनलिगल है लिखित में जानकारी दी जाये |

5. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं अगर कोई उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नयी बिल्डिंग बना लेता हैं तो आप उसके खिलाफ सिविल क्रिमिनल क्या क्या कार्यवाही करते हैं लिखित में जानकारी दी जाये |

6. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं उसको HCC से अनुमति लिए बिना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने के लिए क्या उतरी दिल्ली नगर निगम बिल्डिंग प्लान सैगसन कर सकता हैं या नहीं लिखित में जानकारी दी जाये |

7. नार्थ म्युनिसिपल कारपोरेशन दिल्ली के अंदर प्रत्येक हेरिटेज बिल्डिंग जोकि नोटिफाईड हेरिटेज सूची में हैं और वह शाहजहानाबाद इन्वेंटरी ऑफ हेरिटेज-1 में उस बिल्डिंग की फोटोग्राफ हैं और बिल्डिंग का विवरण जैसे Plan Form, Height, Transformation Conditions- Plan, Elevation, Walls, Plinth Decoration- Doors, Windows, Columns, Entablature, Brackets, Chajjas, Balcony Railings, हैं इन सब को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने के लिए HCC या उतरी दिल्ली नगर निगम दोनों या किसी एक से अनुमति लेना जरूरी है या बिना अनुमति लिए भी बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बना सकते हैं लिखित में जानकारी दी जाये |

Thanking you,

Yours faithfully,



Devender Dev Sharma

16 C, Bhairon Mandir, Boulevard Road,

Civil Lines, North Delhi-110054

Phone:- 9310355513, 9773587020

Note:- 1) A Postal Order no. 96G 310352 dated -21-03-2022 amounting to Rs. 50/- is annexed as fee.